

आयकर अपीलीय अधिकरण, इंदौर न्यायपीठ, इंदौर

श्री कुल भारत, न्यायिक सदस्य तथा
श्री मनीष बोरड, लेखा सदस्य के समक्ष

आ. अ. सं. 411/ इंदौर /2019

निर्धारण वर्ष : 2015-16

श्रीमती बसंती खारिया, इंदौर	बनाम	आयकर अधिकारी, 3 (3), इंदौर
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं.-एईबीपीके 7180 ए		

आ. अ. सं. 127/ इंदौर /2019

निर्धारण वर्ष : 2015-16

श्रीमती शैफाली खजांची, इंदौर	बनाम	आयकर अधिकारी, वार्ड 3 (5), इंदौर
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं.-एपीएचपीके 8059 डी		

आ. अ. सं. 584/ इंदौर /2019

निर्धारण वर्ष : 2015-16

एआरपी फार्मा प्रा.लि., इंदौर	बनाम	आयकर अधिकारी, 1 (1), इंदौर
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं.-एएजीसीए 2418 आर		

आ. अ. सं. 738 तथा 739/ इंदौर /2019
निर्धारण वर्ष : 2014-15 तथा 2015-16

प्रबोध फाउंडेशन समिति, इंदौर	बनाम	सहायक आयकर आयुक्त, सीपीसी-टीडीएस, गाजियाबाद
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं.-एएसीएपी 3230 ए		

आ. अ. सं. 69/ इंदौर /2019
निर्धारण वर्ष : 2014-15

श्रीमती मनोरमा बाई जैन, इंदौर	बनाम	आयकर अधिकारी, 4 (1), इंदौर
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं.-एआईटीपीजे 9083 डी		

अपीलार्थियों की ओर से	श्री सुभाष जैन, सीए
प्रत्यर्थी की ओर से	श्री हर्षित बारी, वरिष्ठ विभागीय प्रतिनिधि
सुनवाई तिथि	11.01.2021
उद्घोषणा तिथि	11.01.2021

आदेश

न्यायपीठ द्वारा

ऊपर दर्शित निर्धारण वर्षों से संबंधित अलग-अलग निर्धारितियों की उपरोक्त शीर्षकों की अपीलें आयकर आयुक्त (अपील) (संक्षिप्त में आ.आ.(अ)) के अलग-अलग आदेशों के विरुद्ध दाखिल की गई हैं ।

2. सुनवाई के प्रारंभ में ही, निर्धारितियों के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि निर्धारितियों ने "विवाद से विश्वास योजना" में आवेदन किया है तथा योजना के अनुसार, वर्तमान अपीलों को वापिस लेना अपेक्षित है। अतः निर्धारिती वर्तमान अपीलों का अनुसरण करने के इच्छुक नहीं हैं। दूसरी ओर, विद्वान वरिष्ठ विभागीय प्रतिनिधि ने कोई आपत्ति नहीं की है यदि इन अपीलों को कथित योजना के अंतर्गत दबाव नहीं डाले जाने के कारण खारिज किया जाता है।

3. उपरोक्त की दृष्टि में, हम निर्धारितियों द्वारा दाखिल इन अपीलों को वापिस लिए जाने के कारण खारिज करते हैं। यद्यपि, निर्धारिती विधि के अनुसार विनिहित अवधि के अंदर आदेश को वापिस बुलाने (recall) हेतु विविध आवेदन दाखिल करने के लिए स्वतंत्र होंगे यदि संबंधित निर्धारिती का इस योजना के उपभोग करने हेतु आवेदन राजस्व द्वारा किसी कारण से स्वीकार नहीं किया जाता है या संबंधित निर्धारिती किसी कारण से इस योजना में भाग नहीं ले पाता है।

4. परिणामतः, निर्धारितियों की अपीलें वापिस लिए जाने के कारण खारिज की जाती हैं।

यह आदेश 11.01.2021 को खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया है।

हस्ता/-

(कुल भारत)

न्यायिक सदस्य

हस्ता/-

(मनीष बोरड)

लेखा सदस्य

दिनांक : 11.01.2021

प्रतिलिपि : अपीलार्थी, प्रत्यर्थी, आयकर आयुक्त (अपील), आयकर आयुक्त, विभागीय प्रतिनिधि, गार्ड फ़ाइल